Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)
....

No.E(MPP)/86/13/2 New Delhi, dated: 11-5-1988

The Principal,
Railway Staff College, Vadodara.

The Director,
Indian Railway Institute of Mechanical
& Electrical Engineering, Jamalpur.

The Director,
Indian Railways Institute of Civil Engineering,
Pune.

The Director,
Indian Railways Institute of Signal Engineering
& Telecommunication, Secunderabad.

Subject: Monetary incentives in the form of 'Teaching Allowance' to the non-gazetted faculty members of various centralised Railway Training Institutes.

.-.-.

Please refer to Railway Ministry's letter No.85/E(GR)II/18/84 dated 15.9.1986, wherein instructions have been issued for granting 'Teaching Allowance' to the gazetted faculty, drawn on deputation for imparting training in the Centralised Institutions.

2. Railway Ministry had been considering the question of granting similar benefits to non-gazetted faculty employed in the Centralised Training Institutions. It has now been decided that the non-gazetted faculty drawn on deputation from the field for the purpose of imparting training in the Centralised Institutions may also be granted the incentives as detailed below:

(a) Non-gazetted faculty who are drawn on deputation from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted 'Teaching Allowance' at the rate of 30% of the basic pay in the revised scales of pay;

(b) the training allowance will be reduced by special pay, deputation pay and allowances thereon to which a faculty member might be entitled in the institution while on deputation;

....2

(c) faculty members recruited specifically for the training Institutions are not eligible for the benefits;

(d) faculty means "an employee of the Govt. who joins a Training Institute meant for training Govt. officials as a faculty member and whose work is to impart training/teaching."

(e) Training allowance will be admissible to faculty members without any ceiling and will not form part of 'pay' as defined in FR(9)(21)(2003(21)-RII, but however, will count for purpose of leave salary.

(f) There should be an immediate screening of the existing incumbents occupying faculty position in the Centralised Institutions who are eligible for the training incentives outlined above, so that only those who are classified as 'outstanding' and have good training capability should be retained. The others should be reverted to parent cadres/organisations. The screening be completed as early as possible preferably within two months of the issue of the orders.

(g) The admissibility of the allowance in each individual case should be examined by the Head of the Institution in consultation with the associate finance.

3. The above orders will take effect from the date of issue.

4. The decisions contained in para 2 above have the sanction of the President and issue with the concurrence of the Finance Directorate of this Ministry.

(R.D.Lakhanpal)
Director, Establishment(T&MPP)
Railway Board.

No.E(MPP)/86/13/2 New Delhi, dated: 11-5-1988

Copy forwarded for information to ADAI(Rlys), New Delhi.

for Financial Commissioner/Rlys

No.E(MPP)/86/13/2 New Delhi,dated: 11 -5-1988

Copy forwarded for information to:

1. General Managers, All Indian Railways including Production Units.
2. General Manager, Wheel & Axle Plant, Bangalore.
3. Chief Administrative Officer, COFMOW, DCW.
4. Officer-on-Special Duty, RailCoach Factory, Kapurthala.
5. Director General,R.D.S.O., Lucknow.

(R.D.Lakhanpal)
Director,Establishment(T&MPP)
Railway Board.

Copy to:

EDMS, Secy, JDMS, E(Trg), E(NG)I, E(NG)II, E(P&A)I & II, PE-III & PC-IV and F(E)II (with five spares)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(एस पी पी)/86/12/2 नयी दिल्ली, दि0 11-5-88

प्रिंसिपल,
रेलवे स्टाफ कालेज वडोदरा
तथा अन्य ।

विषय:- विभिन्न केन्द्रीकृत रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के अराजपत्रित फैकल्टी सदस्यों को "शिक्षण भत्ते" के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन ।

कृपया रेल मंत्रालय के 15-9-1986 के पत्र सं0 85/ई(जी आर)1/18/84 का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत केन्द्रीकृत संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिये गये फैकल्टी के राजपत्रित सदस्यों को "शिक्षण भत्ता" प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं ।

2. रेल मंत्रालय केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में नियोजित फैकल्टी के अराजपत्रित सदस्यों ऐसा ही लाभ प्रदान करने के प्रश्न पर विचार कर रहा था । अब यह विनिश्चय किया गया है कि केन्द्रीकृत संस्थानों में प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये फैकल्टी के अराजपत्रित सदस्यों को भी निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाये:-

(क) फैकल्टी के अराजपत्रित सदस्यों को, जो क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैंऔरे जिनकी ड्यूटी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षा देना है, संबंधित वे वेतनमान में मूल वेतन के 30% की दर से " शिक्षण भत्ता" प्रदान किया जाये।

(ख) प्रशिक्षण भत्ते में से उतना विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और उन पर भत्ता कम हो जायेगा जितने के लिए प्रतिनियुक्ति में रहने के दौरान फैकल्टी का सदस्य पात्र हों ।

(ग) प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विशिष्ठ रूप से भर्ती किये गये फैकल्टी के सदस्य इस लाभ के पात्र नहीं हैं ।

(घ) फैकल्टी का अर्थ है " सरकार का एक कर्मचारी जो फैकल्टी के सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षण संस्थान में कार्यभार संभालता है और जिसका काम प्रशिक्षण/शिक्षण देना है ।

.....2/-

(ङ) फैकल्टी के सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ता किसी अधिकतम सीमा के बिना स्वीकार्य होगा और यह वेतन का भाग नहीं होगा जैसा कि मू0 नि0 (19) (21) (2003) (21) -आर ।। में परिभाषित है लेकिन इसे छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए गिना जायेगा ।

(च) केन्द्रीकृत संस्थानों में फैकल्टी पोजीशन धारण करने वाले उन मौजूदा पदधारियों की तत्काल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए जो उपर्युक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं ताकि केवल वे ही कर्मचारी जिन्हें "उत्कृष्ट " के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें प्रशिक्षण देने की बेहतर क्षमता हो, रखे जा सकें । अन्य कर्मचारियों को उनके मूल संवर्गों/संगठनों को प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए । स्क्रीनिंग यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र अधिमान्यतः आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के अन्दर कर दी जानी चाहिए ।

(छ) प्रत्येक कर्मचारी के मामले में भत्ते की ग्राह्यता की जांच संस्थान के प्रधान द्वारा वित्त के साथ परामर्श करके की जानी चाहिए ।

3. उपर्युक्त आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

4. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ठ निर्णयों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा इसे इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(आर0 डी0 लखानपाल)
निदेशक, स्थापना, (टी एंड एस पी पी)
रेलवे बोर्ड ।

सं0 ई(एस पी पी) 86/13/2 नयी दिल्ली, दि0 11-5-88

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) को सूचनार्थ प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें ।

.....3/-